भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 243

(जिसका उत्तर 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

प्रधानमंत्री जनधन योजना

243. श्री जगदम्बिका पालः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है तथा अब तक इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सिद्धार्थनगर जिला सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पीएमजेडीवाई विफल हो गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अब तक इस योजना के अंतर्गत बैंकों में 335 मिलियन खाते खोले गए हैं जिनमें अब तक औसत 2548/- रुपए जमा कराये गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिसम्बर 2018 तक उक्त खातों में से 40 प्रतिशत खाते निष्क्रिय थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यशील खातों में निरंतर गिरावट के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क): प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) 28 अगस्त 2014 को आरंभ में 4 वर्ष की अवधि के लिए (दो चरणों में) शुरू की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कम से कम एक मूल बैंक खाता और 1 लाख रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर वाले रूपे डेबिट कार्ड के साथ सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं की सर्वसुलभता।

(ii छः माह तक खाते के संतोषजनक परिचालन के पश्चात 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।

(iii) ऐसे लाभार्थी जिन्होंने दिनांक 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच पहली बार अपना खाता खोला हो, को 30,000 रुपए का जीवन कवर।

(iv) लोगों को सूक्ष्मबीमा उपलब्ध कराना।

प्रथम दो चरणों के दौरान सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के जरिए प्राप्त लाभों को और मजबूती प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, खाता खोलने के ध्येय को 'प्रत्येक परिवार' के स्थान पर 'प्रत्येक बैंक रहित वयस्क' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निम्नलिखित संशोधनों के साथ पीएमजेडीवाई को दिनांक 28.08.2018 के बाद भी जारी रखा गया है:

(i) दिनांक 28.08.2018 के पश्चात खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के संबंध में जारी नए रूपे कार्ड के लिए दुर्घटना बीमा कवर को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।

(ii) मौजूदा ओवरड्राफ्ट (ओडी) की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया, इसमें 2,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है।

(iii) ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने की आयु सीमा को 18-60 वर्ष से संशोधित करके 18-65 वर्ष कर दिया गया है।

दिनांक 12.6.2019 की स्थिति के अनुसार, सिद्धार्थ नगर जिले में 16.87 लाख चालू खाते और बचत खाते (सीएएसए) हैं, जिसमें 5.9 लाख पीएमजेडीवाई खाते शामिल हैं।

पीएमजेडीवाई खातों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। अगस्त 2014 से पीएमजेडीवाई के माध्यम से कार्यान्वित वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल ने लोगों को देश में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया है। समय के साथ लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 12.6.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लगभग 35.81 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं जिनमें प्रति खाता औसत जमा शेष राशि लगभग 2762/- रुपए है।

(घ) और (ड.): जी नहीं, दिनांक 26.12.2018 की स्थिति के अनुसार, लगभग 28.17 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते (कुल पीएमजेडीवाई खातों का 83.7%) चालू थे। मार्च 2017 से परिचालनरत खातों की हिस्सेदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई में प्रगति		
क्रमसं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल खाते**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	50,162
2	आन्ध्रप्रदेश	98,35,330
3	अरुणाचल प्रदेश	2,94,240
4	असम	1,51,75,379
5	बिहार	4,05,90,354
6	चण्डीगढ़	2,48,656
7	छत्तीसगढ़	1,41,23,821
8	दादरा एवं नगर हवेली	1,17,325
9	दमन एवं दीव	52,480
10	दिल्ली	44,19,636
11	गोवा	1,60,168
12	गुजरात	1,40,04,719
13	हरियाणा	71,85,171
14	हिमाचल प्रदेश	12,01,540
15	जम्मू एवं कश्मीर	21,25,485
16	झारखंड	1,25,23,587
17	कर्नाटक	1,45,07,275
18	केरल	39,17,977
19	लक्षद्वीप	5,232
20	मध्य प्रदेश	3,09,97,988
21	महाराष्ट्र	2,50,99,908
22	मणिपुर	9,08,214
23	मेघालय	4,83,646
24	मिजोरम	3,01,070
25	नागालैण्ड	2,71,928
26	ओडिशा	1,44,21,784
27	पुदुचेरी	1,50,655
28	PUNJAB	67,48,815
29	राजस्थान	2,53,11,423
30	सिक्किम	92,957
31	तमिलनाडु	1,00,95,470
32	तेलंगाना	95,92,367
33	त्रिपुरा	8,78,579
34	उत्तरप्रदेश	5,58,72,191
35	उत्तराखंड	24,66,874
36	पश्चिम बंगाल	3,44,59,865
कुल		**35,86,92,271**

*****